L. A. BILL No. XXIV OF 2021.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २४ सन् २०२१।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९६१ का महा. २४ ।

सन् २०२१ का महा. अध्या. क्रमांक ७।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और, इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, १ अक्तूबर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ;

(शा.म.मु.) एच १५४९ (५०–१२-२०२१)

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अत : भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह १ अक्तूबर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ६५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ६५ की उप-धारा (२) के, द्वितीय परंतुक में, "२०२०-२०२१" अंकों तथा चिन्हों के पश्चात्, "और वर्ष २०२१-२०२२" शब्द, अंक तथा चिन्ह निविष्ट किए जायेंगे। सन् १९६१ का महा. २४।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७५ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ७५ में,—

(एक) उप-धारा (१) के, प्रथम परन्तुक में, "२०१९-२०२०" अंकों तथा चिन्हों के पश्चात् "और वर्ष २०२०-२०२१" शब्द, अंक तथा चिन्ह निविष्ट किए जायेंगे ;

(दो) उप-धारा (२ख) में, "२०२०-२०२१" अंक और चिन्हों के पश्चात्, "और वर्ष २०२१-२०२२" शब्द, अंक तथा चिन्ह निविष्ट किए जायेंगे।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ८१ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ८१ की, उप-धारा (१) के खण्ड (क), के चतुर्थ परंतुक में, "२०१९-२०२०" अंकों तथा चिन्हों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहाँ कहीं वे आए हों, "और वर्ष २०२०-२०२१" शब्द, अंक तथा चिन्ह निविष्ट किए जायेंगे।

सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक ७ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

५. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. ७।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात, या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य

कोविड-१९ महामारी के प्रादुर्भाव के कारण और २४ मार्च २०२० से देश में तालाबंदी की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों में अवरोध निर्माण हुआ है। तालाबंदी के कारण, राज्य में सहकारी संस्थाओं के कार्य भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गए है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था के रिपोर्ट के अनुसार, आनेवाले दिनों में कोविड-१९ की तिसरी लहर का प्रादुर्भाव होना भी अपेक्षित है।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) के उपबंधों तथा तद्धीन विरचित नियमों के अनुसार, संस्थाएँ उनके लाभ, समुचित करने, अनुबद्ध अवधि के भीतर उनकी वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन करने तथा लेखा-परीक्षण हाथ में लेना आवश्यक समझती है। तथापि, कोविड-१९ महामारी का प्रादुर्भाव होने के कारण, अनुबद्ध अवधि के भीतर उसका आयोजन करना कठिन है। इसलिए, उक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

३. प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है, अर्थात् :—

(एक) द्वितीय परन्तुक में धारा ६५ की, उप-धारा (२) में यह उपबंधित किया गया है कि, वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के लिए संस्था के लाभ, समिति के अनुमोदन के साथ विनियोजित किए जायेंगे और उसे उसके पश्चात् ली गई संस्था की वर्षिक साधारण बैठक में अनुसमर्थन के लिए रखे जायेंगे।

इसलिए, वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिए यह उपबंध विस्तारित करना प्रस्तावित किया गया था।

(दो) धारा ७५ की,—

(क) उप-धारा (१) के प्रथम परंतुक में, यह उपबंधित किया गया है कि, वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के लिए संस्था, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के नौं महीने के भीतर संपरीक्षित उनकी लेखा वही का लेखा प्राप्त कर सकेगी तथा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बारह महीने के भीतर वार्षिक साधारण निकाय बैठक बुला सकेगी।

इसलिए, वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के लिए भी यह उपबंध विस्तारित करना प्रस्तावित किया गया था।

(ख) उप-धारा (२ख) में यह उपबंधित किया गया था कि, समिति को, वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ में, अगले वर्ष के लिए अधिशेष का निपटान करने और वार्षिक बजट पर निर्णय लेने, तथा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पॅनल से धारा ८१ में यथा अधिकथित ऐसे निम्नतम अर्हताएँ और अनुभव होनेवाले किसी लेखा परीक्षक या लेखापरिक्षण फर्म की नियुक्ति करने की शक्ति होगी, उपरोक्त मामलों संबंधी में समिति के विनिश्चय, उसके पश्चात ली गई संस्था की वार्षिक आम निकाय बैठक में, परावर्तन के लिए अधिकथित किये जायेंगे।

इसलिए, यह उपबंध वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिए भी विस्तारित करना प्रस्तावित किया गया था।

(तीन) धारा ८१ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) के चतुर्थ परंतुक में, यह उपबंधित किया गया था कि, वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के लिए संस्था, वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के समाप्त होने के नौ महीने की अवधि के भीतर उनका लेखा-परीक्षण पूरा किए जाने के लिए प्रेरित होगी।

इसलिए, यह उपबंध वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के लिए भी विस्तारित करने के लिये प्रस्तावित किया गया था।

४. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्र. ७) १ अक्तूबर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित ११ नवम्बर, २०२१।

बाळासाहेब पाटील,
सहकार मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई